संख्या- 8/2020/1091/96-आयुष-2-2020-20(बी)/2018

प्रेषक,

राज कमल यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी, उ0प्र0
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 16 अप्रैल, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत होम्योपैथिक विभाग के लिए राजस्व लेखा के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आपके पत्रांक-नि0हो0/1073-बी/82/20-21/1304, दिनांक 03-04-2020 एवं पत्र संख्या- नि0हो0/1073-बी/82/20-21/1305, दिनांक 03 अप्रैल, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में होम्योपैथी विभाग हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू0 1060.23 लाख (रूपये दस करोड़ साठ लाख तेइस हजार मात्र) में से राजस्व लेखा हेतु कुल रू0 685.58 लाख (रूपये छः करोड़ पच्चासी लाख अट्ठावन हजार मात्र) को संलग्नक- 1 में वर्णित लेखा शीर्षक व मानक मदों में मदवार विभाजन के अनुसार आपके निवर्तन पर रखने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल चालू मदों पर ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई योजनाओं/मदों पर नही किया जायेगा।

2- धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व, उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका/ नियमों/संगत शासनादेशों, स्टोर परचेज नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम स्तर से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

3- अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि का व्यय शासन से अनुमति प्राप्त कर किया जायेगा। उक्त के प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाय।

4- पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि का यथासमय समुचित प्रस्ताव विभाग से प्राप्त होने पर शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृति धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाय तथा जिन मदों में धनराशि प्राविधानित है, उन्ही मदों में व्यय किया जाय। धनराशि का एक मद से दूसरे मद में व्ययार्वतन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटन आदेश की प्रति समस्त अधिकारियों/शासन को उपलब्ध करायी जाय।

7- उक्त धनराशि के भुगतान/आवंटन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित शर्तो/निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8- स्वीकृत धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निधा्रित प्रपत्र पर माह 10 तारीख तक शासन/वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय ।

2- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अपने तथा अधीनस्थ स्तरों पर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

आज्ञा से

राज कमल यादव
विशेष सचिव

संख्या:- 8/2020/1091(1)/96-आयुष-2-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एक हकदारी द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, गोरखपुर/अलीगढ़ (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी होम्योपैथी निदेशालय।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

लक्ष्मण सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 8/2020/1091/96-आयुष-2-2020-20(बी)/2018, दिनांक 16 अप्रैल, 2020 का संलग्नक-1

धनराशि (रूपये लाख में)

मानक मदें	अनुदान संख्याः-83 लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-0306-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज"	
	कुल प्राविधान	कुल प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियों हेतु प्रस्ताव
1	**2**	**3**
01-वेतन	83.59	83.59
02-मजदूरी	4.00	4.00
03-मॅहगाई भत्ता	20.90	20.90
04-यात्रा भत्ता	0.50	0.50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
06-अन्य भत्ता	2.50	2.50
07-मानदेय	0.15	0.15
08-कार्यालय व्यय	15.00	15.00
09-विद्युत देय	100.00	100.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.10	0.10
11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	2.50	2.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	25.00	25.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	250.00	250.00
21-छात्रवृत्तियाॅ/छात्र वेतन	0.01	0.01
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	25.00	25.00
31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	5.20	5.20
39-औषधि तथा रसायन	15.00	15.00
40-औषधालय सम्बंधी आवश्यक सज्जा	3.00	3.00
42-अन्य व्यय	2.00	2.00
43-सामग्री एंव सम्पूर्ति	2.00	2.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.01	0.01

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6.00	6.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	1.50	1.50
49-चिकित्सा व्यय	2.00	2.00
51-बर्दी व्यय	1.00	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.01	0.01
53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	0.01	0.01
55-मकान किराया भत्ता	12.00	12.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	1.50	1.50
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	102.60	102.60
कुल योग-	**685.58**	**685.58**

लक्ष्मण सिंह
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।